

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265745
SG-DL-E-27082025-265745असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 252]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947	[N. C. T. D. No. 195

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

फा. सं. 8(03)/वन/मुख्या./योजना/2019/भाग-2/7085.—जबकि, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.10.2015 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016 तैयार किए हैं तथा इसे दिनांक 11.11.2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है तथा इसे दिनांक 11.09.2017 और 22.02.2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016 में राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने मौजूदा नियमों को समय-समय पर यथा संशोधित इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाएं;

अब, इसलिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016 दिनांक 11.11.2016 के साथ-साथ दिनांक 11.09.2017 तथा 22.02.2019 के संशोधनों को एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनाया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE**NOTIFICATION**

Delhi, the 20th August, 2025

F. No. 8(03)/Forest/HQ/Plg./2019/Part-2/7085.— WHEREAS, in compliance with the directions contained in order, dated 05.10.2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995, in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has formulated the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.11.2016;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has amended the said guidelines and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.09.2017 & 22.02.2019;

AND WHEREAS, the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 requires the States to bring their existing rules in conformity to these guidelines as amended from time to time;

Now, therefore, the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 dated 11.11.2016 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India along with the amendments dated 11.09.2017 and 22.02.2019 are hereby adopted by the Govt. of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANDEEP KUMAR, Principal Secy.